<u>मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड</u>
<u>मुख्यालय - भोपाल.</u>

क्रमांक/उपार्जन/2008-09/640 भोपाल, दिनांक 06/10/08

प्रति,

जिला प्रबंधक,
म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0,
समस्त(म0प्र0)

विषयः- **खरीफ विपणन वर्ष 2008-09 में ज्वार, बाजरा एवं मक्का का समर्थन मूल्य के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के अभिकर्ता के रूप में उपार्जन।**

खरीफ विपणन वर्ष 2008-09 में म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा समर्थन मूल्य पर प्रदेश के सभी जिलों में मोटा अनाज (ज्वार, बाजरा एवं मक्का) का उपार्जन कार्य 1 अक्टूबर, 2008 से प्रांरभ किया जाएगा । **कार्पोरेशन द्वारा मोटा अनाज का उपार्जन गत वर्षानुसार केवल <u>"कृषि साख सेवा सहकारी समितियों"</u> के माध्यम से कराया जाएगा ।**

समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत उपार्जन की जिम्मेदारी कार्पोरेशन की होने के कारण मंडी में अनाजों की आवक एवं भाव पर निगरानी रखना आवश्यक है। उपार्जन से संबंधित समुचित आवश्यक व्यवस्थाएँ स्थानीय परिस्थिति तथा बाजार भाव के दृष्टिगत शीघ्र पूर्ण करें तथा ओ0के0 रिपोर्ट मुख्यालय प्रेषित करें ।

01. <u>समर्थन मूल्य-</u>

1.1 खरीफ विपणन वर्ष 2008-09 में खरीदी हेतु भारत सरकार के द्वारा **<u>परिशिष्ट-01</u>** अनुसार औसत अच्छे किस्म(एफ0ए0क्यू0) मोटे अनाज का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, जो निम्नानुसार हैः-

1. ज्वार (Madlandi) - रू0 860.00 प्रति क्विंटल
2. ज्वार,बाजरा,मक्का (Hybrid) - रू0 840.00 प्रति क्विंटल

1.2 **<u>खरीदी पंजी-</u>** सभी क्रय केन्द्रों पर खरीदी पंजी संधारित की जाएगी, जिसमें क्रय के समय विक्रेता कृषक का नाम, पता, उसकी ऋण पुस्तिका का

क्रमांक तथा ज्वार/बाजरा/मक्का का बोया गया रकबा अंकित करना अनिवार्य होगा ।

02. <u>क्रय केन्द्रों की स्थापना-</u>

<u>विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी कार्पोरेशन द्वारा केवल कृषि साख सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ही खरीदी की जानी है । कार्पोरेशन मण्डी में खरीदी नहीं करेगा,</u> अतः उपार्जन केन्द्रों की स्थापना के संबंध में कलेक्टर से विचार-विमर्श कर इन केन्द्रों का चयन किया जाए । जिले में गत वर्ष उपार्जन हेतु खोले गए केन्द्रों की संख्या एवं नाम संलग्न **<u>परिशिष्ट-02</u>** में दर्शाए गये हैं ।

03. <u>एजेण्ट समितियों के लिये साख सीमा-</u>

ज्वार, बाजरा एवं मक्का के उपार्जन हेतु सेवा सहकारी समितियों को केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा साख सीमा स्वीकृत की जाएगी । **<u>उपार्जन हेतु कार्पोरेशन द्वारा किसी भी समिति को अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा ।</u>**

04. <u>ग्रेडेशन एवं विनिर्दिष्टियाँ-</u>

समर्थन मूल्य पर उपार्जित समस्त स्कंध भारतीय खाद्य निगम के लिये क्रय किया जाना है । अतः तीनों खाद्यान्न निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार ही खरीदे जाएं । एक समान विनिर्दिष्टियों का परिपत्र संलग्न है। **ये विनिर्दिष्टियाँ अनुबंध पत्र के भाग होंगे तथा समितियों के द्वारा इन्हीं विनिर्दिष्टियों के अनुरूप खरीदी की जाना आवश्यक होगा ।** कृषक द्वारा अपनी उपज विक्रय हेतु क्रय केन्द्र पर लाने पर उसकी गुणवत्ता के बारे में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देकर परीक्षण किया जाएः-

01. तीनों अनाजों(ज्वार, बाजरा, मक्का) के रंग, आकृति तथा सूरत प्राकृतिक होने चाहिए ।
02. तीनों खाद्यान्नों में आर्द्रता निर्धारित प्रतिशत से अधिक न हो ।

उपरोक्तानुसार स्कंध के परीक्षण का कार्य **एजेण्ट सेवा सहकारी समितियों द्वारा ही किया जाएगा** और इसमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं बरती जाए।

एजेण्ट समिति द्वारा ज्वार को किस्मवार (लाल व सफेद) और मक्का को किस्मवार (पीली और सफेद) पृथक-पृथक बोरों में भरती की जाए । स्कंध को

ज्वार/बाजरा/मक्का (औसत अच्छी किस्म) लिखा जाए । एजेण्ट समिति द्वारा प्रत्येक बोरे पर निम्न स्टेंसिल लगाई जाना अनिवार्य होगा ।

केन्द्र का नाम
समिति का नाम
अनाज का नाम..............................(औसत अच्छी किस्म)
शुद्ध वजन किलोग्राम
उपार्जन वर्ष 2008-09

वर्ष 2008-09 में उपार्जन हेतु भारत सरकार द्वारा नियत कलर कोड "हरा " है, अतएव स्कंध से भरे बोरे की सिलाई हरे " रंग की सुतली से की जाय तथा नीले रंग से स्टेन्सिल लगाई जाये (परिशिष्ट क्रमांक 04) । **बिना स्टेन्सिल या हल्के रंग के छापे लगे बोरों में उपार्जित स्कंध को किसी भी स्थिति में स्वीकार/जमा नहीं करवाया जाएगा ।स्कंध से भरे बोरों की सिलाई 14 क्रास टांकों से की जाये ।**

05. एजेण्ट सेवा सहकारी समितियों के साथ इकरारनामा-

जिलों के अन्तर्गत स्थापित उपार्जन केन्द्रों से संबंधित **सेवा सहकारी समितियों के साथ परिशिष्ट क्रमांक 03 पर** दिये गए प्रारूप में इकरारनामा निष्पादित कर मुख्यालय को सूचित किया जाए। इसके लिये उपयुक्त होगा कि समितियों के व्यवस्थापकों को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्यालय में ही एक निश्चित दिनांक पर बुलाकर वहीं इकरारनामे निष्पादित कर खरीदी संबंधी निर्देश भी दे दिये जाएं ।

5.(अ) मण्डी शुल्क एवं निराश्रित शुल्क-

एजेण्ट सेवा सहकारी समितियों द्वारा मंडी व निराश्रित शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना है । इन शुल्कों के भुगतान की जिम्मेदारी कार्पोरेशन की रहेगी। इस हेतु कार्पोरेशन द्वारा समितियों को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा । भुगतान की प्रक्रिया जिला प्रबंधक सुनिश्चित करेंगें ।

06. आनुषांगिक व्यय-

उपार्जन कार्य हेतु एजेण्ट सेवा सहकारी समितियों को उनके द्वारा उपार्जित मात्रा पर **भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए स्वीकृत आनुषांगिक व्यय की दर के आधार से भुगतान किया जाएगा, (जो अभी प्राप्त होना शेष है) अतएव व्यवस्था के दृष्टिगत** खरीफ विपणन वर्ष 2007-08 के लिए भारत सरकार

द्वारा एजेन्ट समितियों के लिए आनुषांगिक व्यय के मद में वास्तविक व्यय रू0 10.59 प्रति क्विं0 की दर स्वीकृत की गई थी। भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2008-09 के लिए इसी दर की प्रत्याशा में सुविधा की दृष्टि से एजेन्ट सहकारी समिति को प्रति क्विंटल इन्हीं दरों से भुगतान किया जाएगा । समितियों द्वारा आनुषांगिक व्यय के देयक प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरांत प्राविजनल तौर पर रू0 05.00 प्रति क्विं0 की दर से 03 दिवस के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा शेष राशि का भुगतान समितियों की ओर से अंकेक्षित लेखे प्राप्त होने पर किया जाएगा । इस मद के अंतर्गत आनुषांगिक व्यय का भुगतान उसी वास्तविक दर के आधार पर अंतिम रूप से किया जाएगा जो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए स्वीकृत होगी ।

07. भंडारण व्यवस्था-

समितियों द्वारा उपार्जित स्कंध का भंडारण प्राथमिकता पर एस0डब्ल्यू0सी0 के गोदामों में किया जाए । आवश्यकता पड़ने पर सी0डब्ल्यू0सी0/ तिलहन संघ/ विपणन संघ के गोदामों में भी भंडारण किया जा सकेगा । **आवश्यकता/अनुमान अनुसार भंडारण आरक्षण प्राप्त किया जाए ।** उपार्जन अनुमान तथा मैदानी स्तर पर फसल व बाजार दर की स्थिति के अवलोकन उपरांत आरक्षण की कार्यवाही करें । कृपया स्मरण रहे कि आरक्षण युक्तियुक्त हो । क्षेत्रीय प्रबंधक भी इस हेतु जिलेवार समीक्षा कर भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करें । इस संबंध में जिलेवार उपार्जन अनुमान संबंधी पत्रक पृथक से भेजा जायेगा ।

08. परिवहन व्यवस्था-

क्रय केन्द्रों से ज्वार,बाजरा एवं मक्का,का परिवहन म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के परिवहनकर्ताओं द्वारा 07 दिन के अंदर किया जाएगा । परिवहनकर्ता क्रय केन्द्रों से मोटे अनाज सौ प्रतिशत तौल कराकर प्राप्त करेंगे एवं निकटतम निर्दिष्ट गोदाम में जमा करेंगे । स्कंध जमा करते समय मोटे अनाज में आने वाली कमी का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा, **लेकिन उपार्जित मोटे अनाज की भंडारण केन्द्र पर डिलेव्हरी देते समय एजेण्ट समिति के प्रतिनिधि का उपस्थित रहना आवश्यक होगा, ताकि स्टॉक की गुणवत्ता एवं तौल का निराकरण एजेण्ट समिति के प्रतिनिधि के समक्ष हो सके । अमानक स्तर के स्कंध को किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जाएगा तथा स्कंध अमान्य होने की स्थिति में दोनों तरफ के परिवहन भाड़े की वसूली भी संबंधित सेवा सहकारी समिति से की जाएगी ।** यदि किसी जगह कार्पोरेशन द्वारा नियुक्त परिवहनकर्ता उपार्जित स्कंध को समय-सीमा में परिवहन कराने में असमर्थ

रहता है तो ऐसी स्थिति में एजेण्ट समिति उपार्जित स्कंध का परिवहन कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित परिवहन दर पर करा सकेंगी, जिसका भुगतान कार्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा । परिवहनकर्ता द्वारा समयावधि में कार्य न करने पर यदि सहकारी समितियां स्वयं परिवहन कराती हैं, तब भी उक्त प्रक्रिया अनुसार ही कार्यवाही होगी, परिवहन व्यय का भुगतान समितियों द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर कार्पोरेशन द्वारा किया जाएगा । समितियों द्वारा स्वयं परिवहन कराने पर उन्हें वास्तविक परिवहन व्यय का भुगतान कर अंतर राशि की वसूली(यदि निर्धारित दर से अधिक हो तो) अनुबंधित परिवहनकर्ता से की जाएगी ।

09. बारदाना-

मोटे अनाज के उपार्जन में प्राथमिक रूप से पूर्णरूपेण एक भरती बारदाना (once used) ही 100 प्रतिशत उपयोग किया जाना है । यदि एक भारती बारदाना जिला/केन्द्र पर उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में नया बारदाना उपयोग में लाया जाये तथा उपयोग किये गये नये व पुराने बारदान का हिसाब पृथक-पृथक रखा जाये ।

10. धनराशि की व्यवस्था एवं लेखांकन-

प्रत्येक एजेण्ट सेवा सहकारी समिति निकटतम संग्रहण केन्द्र पर उपार्जित स्कंध की डिलेव्हरी देने के उपरांत संलग्न **परिशिष्ट क्रमांक 05** पर दिये गये प्रारूप में कार्पोरेशन के जिला कार्यालय में अंतरिम देयक प्रस्तुत करेगी जिसके साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जाएंगे:-

01. भंडारण प्रभारी द्वारा जारी स्वीकृति पत्रक दो प्रतियों में ।
02. भंडार गृह में डिलेव्हरी के समय तैयार किये गये तौल पत्रक की दो प्रतियां ।
03. कृषक पर्चियां ।

उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रारूप में परीक्षण उपरांत देयक ठीक पाए जाने पर समर्थन मूल्य की दर से समितियों को तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा । अंतिम भुगतान तब किया जाएगा, जबकि समिति ने शेष बारदाने वापिस कर दिये हों

तथा अन्य कोई लेनदारी बाकी न हो । अंतिम देयक का प्रारूप **परिशिष्ट 06** पर संलग्न है । **सहकारी समितियों द्वारा प्रासंगिक व्ययों के दावे प्रस्तुत करने के एक माह के अंदर ऐसे दावों का परीक्षण कर कार्पोरेशन निर्धारित चेनल(केन्द्रीय सहकारी बैंक) के माध्यम से समितियों को भुगतान करेगा । ऐसा न करने पर सहकारी समितियों को उनकी लागत पूंजी पर ब्याज की मांग करने का अधिकार होगा ।** कार्पोरेशन द्वारा इस विषय में सहकारी समितियों द्वारा प्रस्तुत दावों का निराकरण युक्तियुक्त आधार तथा प्रत्येक प्रकरण के गुणदोष के आधार पर किया जाएगा ।

11. विविध-

समर्थन मूल्य के अन्तर्गत प्रतिदिन खरीदी की तथा प्रगतिशील खरीदी की जानकारी दोपहर 12.00 बजे तक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा फैक्स से मुख्यालय को भेजी जाए । जिला प्रबंधक खरीदी की प्रगति से जिला प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम एवं जिला कलेक्टर को भी अवगत कराएगें । क्षेत्रीय प्रबंधक **परिशिष्ट क्रमांक 07** में उल्लेखित प्रारूप में जानकारी प्रतिदिन मुख्यालय को प्रेषित करेगें । यदि किसी संभाग में बिल्कुल खरीदी नहीं होती है, उस दशा में प्रत्येक सोमवार निरंक जानकारी प्रेषित की जाए । **समय पर जानकारी प्राप्त नहीं होने तथा एक साथ असामान्य/अवास्तविक उपार्जन जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी तथा उक्त खरीदी संदेहात्मक मानकर उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध निर्धारित की जा सकेगी जिसके द्वारा समय पर रिपोर्टिंग नहीं की गई है । अन्य राज्यों से मोटे अनाज की आवक की खरीदी पर नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य की सीमा पर स्थित जिलों में सीमा के निकट उपार्जन केन्द्र नहीं खोले जाएं । इसके लिए संबंधित जिला कलेक्टर से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएं ।**

12. मण्डी में ज्वार,बाजरा एवं मक्का के आवक की जानकारी का नियमित प्रेषण.

ज्वार,बाजरा एवं मक्का की मंडियों में आवक तथा न्यूनतम एवं अधिकतम दरों की जानकारी का पत्रक प्राप्त कर मुख्यालय प्रतिदिन भेजा जाए ।

13. उपार्जन प्रक्रिया में सतर्कता एवं पर्यवेक्षण हेतु विशेष बिन्दु-

13.1 उपार्जन केवल सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ही किया जाएगा ।

13.2 जिला कलेक्टरों को उक्तानुसार अवगत कराया जाए तथा **<u>यह भी निवेदन किया जाए कि विगत पाँच वर्षों में सेवा सहकारी समिति द्वारा किए गये अच्छे कार्य/ रिकार्ड के आधार पर ही ऐसी सेवा सहकारी समितियों को उपार्जन सब-एजेण्ट नियुक्त किया जाए ।</u>**

13.3 जिला प्रबंधक सप्ताहान्त पर प्रत्येक सोमवार को उपार्जित स्कंध की मात्रा एवं गुणवत्ता का प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से **<u>संलग्न परिशिष्ट क्रमांक-08 अनुसार मुख्यालय प्रेषित् करेंगे ।</u>**

13.4 उपार्जित स्कंध निर्धारित एफ0ए0क्यू0 मानक के अनुरूप ही होना चाहिए, इस हेतु समिति को स्पष्ट रूप से समझाइश/निर्देश दिए जाएं कि गुणवत्ता संबंधी पूर्ण दायित्व एजेन्ट समिति का ही होगा । प्रत्येक जिले में उपार्जन एवं खाद्यान्नों की गुणवत्ता परीक्षण के संबंध में सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण कारपोरेशन द्वारा दिया जायेगा । प्रशिक्षणार्थियों की सूची सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी । इस हेतु पृथक से सूचना दी जायेगी तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ।

14. <u>स्कंध की गुणवत्ता-</u>

14.1 स्कंध की गुणवत्ता पर जिला प्रबंधक विशेष ध्यान देंगे । **<u>निर्धारित स्पेसिफिकेशन(मापदण्डों /विनिर्दिष्टयां) के निर्देशों की प्रति एवं एफ0ए0क्यू0 स्कंध का माडल सेम्पल सील करके प्रत्येक खरीदी केन्द्र पर उपलब्ध कराया जाएगा,</u>** जिससे कि विक्रेता कृषकों तथा क्रेता समिति के प्रबंधकों को एफ0ए0क्यू0 स्कंध की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी हो सकें एवं किसी प्रकार की शंका न रहे ।

14.2 **यदि कृषक द्वारा विक्रय हेतु लाया गया स्कंध उक्त वर्गीकरण के अनुरूप नहीं है, तो उसको निम्न सलाह दी जाएः-**

(अ) यदि अधिक नमी है तो वह स्कंध को सुखाकर विक्रय हेतु लाएं ।

(ब) यदि स्कंध की सफाई करने से(छन्नी करने से) स्कंध निर्धारित मापदण्ड में आ सकता है तो सफाई करके लाएं ।

<u>उपरोक्तानुसार मोटे अनाजों का परीक्षण एजेण्ट सेवा सहकारी समितियों के द्वारा किया जाएगा ।</u> कार्पोरेशन के अधिकारी तथा कलेक्टर द्वारा विहित अन्य प्राधिकारी भी समय-समय पर इनकी गुणवत्ता की जांच करेंगे ।

जिला प्रबंधक उपार्जित / भण्डारित मोटे अनाजों के स्टेक से प्रतिनिधात्मक तीन सेम्पल लेकर एक सेम्पल गोदाम में, एक सेम्पल जिला कार्यालय में तथा एक सेम्पल मुख्यालय जांच हेतु अनिवार्य रूप से भेजेंगे । यह कार्यवाही प्रत्येक सप्ताह अनिवार्य रूप से की जाए ।

14.3 मोटे अनाजों की **गुणवत्ता को लेकर किसी भी संभावित विवाद के निराकरण हेतु एक समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगेः-**

1. कलेक्टर (या उनके प्रतिनिधि)	अध्यक्ष
2. उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां	सदस्य
3. जिला आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
4. जिला प्रबंधक,म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो0संयोजक/सदस्य	
5. महाप्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक	सदस्य.
6. उप संचालक कृषि	सदस्य
7. जिला प्रबंधक/प्रतिनिधि मा. खाद्य निगम	सदस्य

उपरोक्त समिति प्रशासकीय समिति कहलाएगी । यह समिति खरीदी संबंधी समस्त शिकायतों का अंतिम निराकरण करेगी, जिसमें भारतीय खाद्य निगम /व्यवसाय सलाहकार से तकनीकी सहयोग लेकर अंतिम निर्णय लिया जाना सम्मिलित है। **स्कंध की डिलेव्हरी के उपरांत उसकी गुणवत्ता की संपूर्ण जवाबदेही जिला प्रबंधक खरीदी प्रभारी व गोदाम प्रभारी म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन की होगी ।**

15. **क्षेत्रीय प्रबंधक का उत्तरदायित्वः गुणवत्ता/आर्द्रता पर पूर्ण नियंत्रण, परिवहन भुगतान की साप्ताहिक समीक्षा तथा मुख्यालय को उसका प्रेषण.**

क्षेत्रीय प्रबंधक, प्रत्येक सप्ताह में न्यूनतम दस समितियों व न्यूनतम पाँच संग्रहण केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे । निरीक्षण के दौरान जिला प्रबंधक द्वारा संपादित कार्यों का निरीक्षण करेंगे और संग्रहण केन्द्रों पर भण्डारित स्टॉक की टेस्ट चैकिंग करायेंगे । **निरीक्षण के समय उपार्जन संग्रहण केन्द्रों पर आने वाली समस्याओं का निराकरण करेंगे तथा कोई विसंगति पाई जाने की दशा में तत्काल सुधारात्मक उपाय करेंगे ।**

16. **जिला प्रबंधकों का उत्तरदायित्वः गुणवत्ता/आर्द्रता, परिवहन तथा समय पर सेवा सहकारी समितियों को भुगतान, दैनिक सूचना का प्रेषण.**

16.1 जिला मुख्यालय से खरीदी केन्द्रों तक बारदाना परिवहन कर एवं संबंधित समितियों से पावती प्राप्त करने की जिम्मेदारी जिला प्रबंधकों की होगी । ध्यान रहे कि किसी भी समिति को उसके द्वारा अनुमानित उपार्जित मात्रा से

अधिक के बारदाने प्रदाय नहीं किए जाएं । समितिवार आवश्यकता का आंकलन करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला प्रबंधक की होगी और क्षेत्रीय प्रबंधक इसे नियमित रूप से मॉनीटर करेंगे। **उपार्जन कार्य समाप्त होने पर शेष बारदाने समितियों से वापिस प्राप्त करने अथवा निर्धारित मूल्य पर उनकी राशि समितियों से वसूल करने की एवं बारदानों के लेखा मिलान की जिम्मेदारी भी जिला प्रबंधक एवं बारदाना प्रभारी की रहेगी ।**

प्रत्येक जिला प्रबंधक द्वारा प्रति सप्ताह 10 से 15 समितियों का निरीक्षण किया जाएगा तथा इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान संग्रहण केन्द्र पर संग्रहित स्कंध की गुणवत्ता एवं वजन का टेस्ट-चेकिंग कराया जाएगा एवं तौल-पत्रक पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे । निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संग्रहण केन्द्र पर लाए गये स्कंध के वजन एवं गुणवत्ता के बारे में कोई भी विवाद की स्थिति नहीं है ।

17. **<u>प्रचार-प्रसार.</u>**

17.1 **<u>समर्थन मूल्य पर मोटे अनाजों की खरीदी केन्द्रों पर 7 फीट X 3 फीट साईज के बैनर</u>** सफेद कपड़े पर नीली स्याही से निम्न विवरण लिखकर प्रदर्शित किए जाएंगेः-

" म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा समर्थन मूल्य पर मोटे अनाजों(ज्वार, बाजरा एवं मक्का) की खरीदी"
जिला..................................खरीदी केन्द्र.......................

1. ज्वार (Madlandi) - रू0 860.00 प्रति क्विंटल
2. ज्वार, बाजरा, मक्का (Hybrid) - रू0 840.00 प्रति क्विंटल

एफ0ए0क्यू0 स्कंध हेतु स्वीकृत विनिर्दिष्टयां (प्रतिशत में) *

स्कंध	नमी	बाह्य पदार्थ	अन्य खाद्यान्न	टूटे दाने	बदरंग दाने	सिकुड़े व अपरिपक्व दाने	घुने दाने
ज्वार							
बाजरा							
मक्का							

<u>क्रय केन्द्रों पर एजेन्ट सहकारी समिति उपरोक्तानुसार कपड़े का बेनर स्वयं के व्यय पर लगवाने हेतु एवं एनालिसिस किट की उपलब्धता हेतु</u>

जिम्मेदार होंगी । कार्पोरेशन द्वारा उपार्जन केन्द्रों पर नमी मापक यंत्रों की व्यवस्था यथासंभव की जाएगी ।

17.2 किसानों के हित में समर्थन मूल्य पर मोटे अनाज की खरीदी एवं शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा तथा कार्पोरेशन द्वारा मोटे अनाजों की खरीदी हेतु की गई **व्यवस्थाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए पोस्टर इत्यादि छपवाकर जिला, जनपद एवं पंचायतों तथा जिले के प्रमुख ग्रामों में और क्रय केन्द्रों पर लगवाये जाएं** । प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर व हैंडबिल छपवाकर वितरण किया जाना है । **खरीदी व्यवस्थाओं के संबंध में जिला कलेक्टर के सहयोग से ग्राम स्तरीय कर्मचारी, कोटवार और पटेलों के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए एवं जहाँ मंडिया कार्यरत हो वहाँ मंडी सचिव के माध्यम से दिन में 1-2 बार लाउड स्पीकर से इस संबंधी घोषणा भी कराई जाये ।**

खरीफ वर्ष 2008-09 में उपार्जन कार्य की सफलता आपकी मेहनत व योग्यता पर निर्भर करती है । **स्कंध की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी तथा इसकी मुख्य व प्राथमिक जिम्मेदारी उपार्जन करने वाली सेवा सहकारी समिति की होगी, लेकिन कार्पोरेशन के गोदाम प्रभारियों का भी यह दायित्व होगा कि वे अमानक स्तर के किसी भी स्कंध को, किसी भी स्थिति में स्वीकार कर गोदाम में संग्रहित न करवायें ।** बारदाना की माँग तथा उपयोग का संतुलन बनाये रखें तथा केन्द्रों पर बारदाना डम्प पड़े रहने की स्थिति निर्मित नहीं होने दें । जिला कलेक्टर के भी निरन्तर सम्पर्क में रहें तथा उपार्जन कार्य में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने दें ।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

(डॉ. मनोहर अगनानी)
प्रबंध संचालक

पृ0क्र0/उपार्जन/2008-09/ भोपाल ,दिनांक

प्रतिलिपिः- **सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु ।**

01. प्रमुख सचिव/सचिव,म0प्र0शासन, खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/ सहकारिता/कृषि/राजस्व विभाग भोपाल ।
02. संभागीय आयुक्त,समस्त ।
03. आयुक्त एवं पंजीयक,सहकारी संस्थाएं, म0प्र0भोपाल ।
04. आयुक्त, मण्डी बोर्ड, म0प्र0 भोपाल ।

05. आयुक्त सह संचालक, खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय,भोपाल।
06. कलेक्टर, समस्त ।
07. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, भोपाल ।
08. प्रबंध संचालक,म0प्र0 स्टेट वेअरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल।
09. प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य सहकारी बैंक(अपेक्स बैंक) ,भोपाल ।
10. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय-भोपाल ।
11. क्षेत्रीय प्रबंधक, म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, समस्त ।
12. उप/सहायक पंजीयक,सहकारी संस्थाएं, समस्त ।
13. महाप्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, समस्त ।
14. अध्यक्ष महोदय के निजी सहायक, म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, मुख्यालय-भोपाल ।
15. उपाध्यक्ष महोदय के निजी सहायक, म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, मुख्यालय-भोपाल ।
16. समस्त कक्ष प्रमुख, मुख्यालय-भोपाल ।

महाप्रबंधक(उपार्जन)

परिशिष्ट -02

मोटे अनाज उपार्जन हेतु वर्ष 2007-08 हेतु स्थापित उपार्जन केन्द्रों की सूची

(मक्का - ज्वार - बाजरा)

क्र0	संभाग	जिला का नाम	केन्द्रों के नाम	संख्या
1	भोपाल	1.बैतूल	रोढ़ा, चिचोली, भीमपुर, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, आठनेर, भैंसदेही, जम्बाड़ा, आमला, मुलताई	10
		2.रायसेन	औबेदुल्लागंज	01
		3.सीहोर	सीहोर, आष्टा,नसरूल्लागंज	03
		4.ब्यावरा	ब्यावरा, खिलचीपुर, छापीहेडा, मांचलपुर, नरसिंहगढ़, कुरावर, जीरापुर सारंगपुर, खुजनेर, पचौर ।	10
		5.भोपाल	बैरसिया, गुनगा, नजीराबाद, करौंद, भोपाल।	05
		कुल केन्द्र		**29**
2	इंदौर	6.इंदौर	इन्दौर, सांवेर, मांगल्या, चन्द्रावतीगंज, देपालपुर, गौतमपुरा, बेटमा, गवलीपलासिया, मानपुर ।	09
		7.धार	नौगांव(धार), बदनावर, राजगढ़, लाबरिया, कुक्षी, घाटाबिल्लौद	06
		8.झाबुआ	पेटलावद, सारंगी, रायपुरिया, वामनियां, करबड़, खवासा, थांदला, झाबुआ, जोबट, अलीराजपुर, मेघनगर ।	11
		9.खण्डवा	खण्डवा, खालवा ।	02
		10.बुरहानपुर	बुरहानपुर,	01
		11.खरगौन	खरगौन, गोगावा, बड़वाह, करही, भीकनगांव, बड़ूद ।	06
		12.बड़वानी	बड़वानी, पाटी, सिलावद, अंजड़, राजपुर, दावाना, ठीकरी, पलसूद,सेंधवा, ओझर, बलवाड़ी, निवाली, पानसेमल ।	13
		कुल केन्द्र		**48**
3	उज्जैन	13.उज्जैन 14.देवास 15.शाजापुर	उज्जैन, तराना, महिदपुर, महिदपुररोड़, बड़नगर, नागदा, खाचरौद ।	07
			देवास, कन्नौद, सोनकच्छ, हाटपिपल्या, खातेगांव,टोंकखुर्द, बागली, विजयागंजमंडी, बरौठा, सतवास,पिपलरावा	11

			पतौली, शुजालपुर, मक्सी, बैरछा, अकोदिया, कालापीपल, पोलायकला, कानड़, आगर, सुसनेर, नलखेड़ा, मोमनबड़ोदिया ।	12
क्र0	**संभाग**	**जिला का नाम**	**केन्द्रों के नाम**	**संख्या**
		16.मंदसौर	मंदसौर, दलौदा, सीतामऊ, कयामपुर, सुवासरा श्यामगढ़, गरोठ, भानपुरा, पिपलिया मंडी ।	09
		17.रतलाम	रतलाम, सैलाना, जावरा, सरवन, धराड, विक्रमगढ़, पिपलौदा, रावटी, बाजना, शिवगढ़ ।	10
		18.नीमच	नीमच, जावद, मनासा, कर्जाड़ा, शहनातलाई, जीरन	06
		कुल केन्द्र		**55**
4	ग्वालियर	19.भिण्ड	भिण्ड, गोहद, लहार, मेहगांव ।	04
		20.मुरैना	शिवलालपुरा(मुरैना), वढ़फरा(अम्बाह), जौरा, कैलारस, पोरसा, सबलगढ़ ।	06
		21.शिवपुरी	पोहरी, शिवपुरी, खनियाधाना, लुकवासा, बदरवास, मनपुरा, नरवर, कोलारस ।	08
		22.श्योपुर	सोईकलॉ, ढोढर, कराहल, वीरपुर, विजयपुर, बड़ौदा ।	06
		23.गुना	तरावटा(गुना), राघोगढ़, बमोरी, आरोन, खातौली(चाचौड़ा), मकसूदनगढ़ ।	06
		24.अशोक नगर	अशोकनगर, मुंगावली, चंदेरी ।	03
		25. दतिया	दतिया, सेंवढ़ा, भाण्डेर, रामपुरा, ररूराजीवन।	05
		कुल केन्द्र		**38**
5	जबलपुर	26.छिंदवाड़ा	चौरई, चांद, कुण्डा, पांजरा, वादगांव, सिंगौड़ी, अमरवाड़ा, उमरानाला, गुरैया, खमरा	10
		27.सिवनी	सिवनी, बादलपार	02
		कुल केन्द्र		**12**
6.	सागर	पन्ना	पन्ना, देवेन्द्रनगर, अमानगंज, गुनौर, अजयगढ़ ।	05
		कुल केन्द्र		**05**
	योगः-			**187**

परिशिष्ट -03.

सेवा सहकारी समितियों के साथ इकरारनामा

यह इकरारनामा आज दिनांक .... को म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, जिसे आगे चलकर **कार्पोरेशन** के नाम से सम्बोधित किया गया है तथा सेवा सहकारी समिति .... जिला .... जिसे आगे चलकर **समिति** के नाम से सम्बोधित किया गया है, के मध्य खरीफ वर्ष 2008-09 में समर्थन मूल्य के अन्तर्गत कृषकों से ज्वार,मक्का एवं बाजरा क्रय कर सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन की ओर से सम्बद्ध राज्य/केन्द्रीय भंडार गृह निगम/तिलहन संघ के गोदाम तक पहुंचाकर डिलीवरी लेने के कार्य के लिये आगे उल्लेखित शर्तो पर निष्पादित किया गया है ।

02. कार्पोरेशन समिति को उसके कार्यक्षेत्र में अपनी ओर से कृषकों से निश्चित समर्थन मूल्य पर कार्पोरेशन के अधिकारियों के निर्देशानुसार ज्वार/मक्का/बाजरा की खरीदी करने के लिये अधिकृत करता है । समिति कार्पोरेशन की ओर से समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये निर्धारित गुणवत्ता वाले एफ0ए0क्यू0 अनाज को तुलवायेगी एवं निर्दिष्ट स्थल तक पहुंचायेगी । खरीदे गये स्कंध के परिवहन की प्राथमिक जिम्मेदारी कार्पोरेशन पर रहेगी ।
इकरारनामे की अन्य शर्ते निम्नानुसार हैः-

(क) खरीफ विपणन वर्ष 2008-09 में समर्थन मूल्य पर ज्वार, मक्का एवं बाजरा उपार्जन हेतु भारत सरकार से प्राप्त औसत अच्छी किस्म(एफ.ए.क्यू.)की विनिर्ष्दिष्टयॉ **परिशिष्ट 3 "अ", 3 "ब" एवं 3 "स"** पर संलग्न है जो इस अनुबंध पत्र के भाग माने जायेंगे तथा जिसके अनुसार खरीदे गए स्कंध की गुणवत्ता एफ0ए0क्यू0 गुणवत्ता के अनुरूप होना चाहिए । अमानक स्तर के स्कंध की खरीदी के लिए उपार्जन सहकारी समिति का ही पूर्ण उत्तरदायित्व होगा एवं ऐसे अमानक स्कंध के लिए समिति को कार्पोरेशन द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

(ख) एजेण्ट समिति, उपार्जित स्कंध को सुरक्षित/गोदाम/ स्थान पर रखेगी एवं उसमें हुई किसी भी प्रकार की क्षति के लिये पूर्णतः जिम्मेदार रहेगी ।

क्रय केन्द्रों से ज्वार,मक्का,बाजरा परिवहन की व्यवस्था यह रहेगी कि कार्पोरेशन द्वारा नियुक्त परिवहनकर्ता क्रय केन्द्रों से 07 दिन के अंदर मोटे अनाज की सौ प्रतिशत तौल कराकर स्कंध प्राप्त करेगें तथा निकटतम गोदाम में जमा करेंगे। स्कंध जमा करते समय मोटे अनाज में आने वाली कमी का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा, **लेकिन गोदाम में उपार्जित मोटे अनाज की डिलेवरी देते समय एजेण्ट समिति के प्रतिनिधि का उपस्थित रहना आवश्यक रहेगा ताकि स्कंध की गुणवत्ता का निराकरण एजेण्ट समिति के प्रतिनिधि के समक्ष हो सके एवं किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति से बचा जा सके** । यदि किसी जगह कार्पोरेशन के द्वारा नियुक्त परिवहनकर्ता निर्धारित समयावधि में मोटे अनाज परिवहन करने में असमर्थ रहता है तो ऐसी स्थिति में यदि एजेण्ट समिति स्वयं मोटे अनाज का परिवहन कार्पोरेशन के संग्रहण केन्द्र तक करती है तो समिति को इसके लिए कार्पोरेशन की निर्धारित परिवहन दरों पर एजेण्ट सहकारी समिति के देयक प्रस्तुत करने पर पृथक से परिवहन व्यय का भुगतान कार्पोरेशन द्वारा किया जाएगा । इस प्रक्रियां में समिति जो व्यय वहन करेगी वह कार्पोरेशन के अनुबंधित परिवहनकर्ता की रिस्क एण्ड कास्ट पर होगा तथा कार्पोरेशन द्वारा समिति को भुगतान कर अंतर राशि अनुबंधित परिवहनकर्ता से वसूल की जाएगी ।

समिति उपार्जित स्कंध को संबंधित गोदाम में जमा कराके तुरंत स्वीकृति पत्रक प्राप्त करेगी । स्वीकृति पत्रक के आधार पर समितियों को मोटे अनाज के मूल्य की 90% राशि भुगतान की जाएगी इस हेतु समिति द्वारा प्रत्येक दिन की **खरीदी की कृषकवार सूची तथा भुगतान की जानकारी संलग्न प्रारूप(परिशिष्ट-09) में रखी जाएगी और उस पर संबंधित कृषकों से भुगतान पावती के हस्ताक्षर कराये जाएंगे एवं प्रत्येक दिन की समाप्ति पर उस दिन की खरीदी का तथा प्रारंभ से अभी तक का प्रगतिशील योग लगाये जाएगें और संबंधित प्रभारी द्वारा प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर भी किये जाएगें ।** उपार्जन अंतरिम देयक **संलग्न परिशिष्ट-05** अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके साथ निम्न दस्तावेज दो प्रतियों में संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

01. भंडारण केन्द्र प्रभारी द्वारा जारी स्वीकृति पत्रक ।
02. जमा के समय तैयार किये गये तौल पत्रक ।
03. कृषक पर्चियां ।

समिति द्वारा जब-जब कार्पोरेशन के निर्धारित गोदाम में स्कंध जमा किया जाएगा, तत्काल उसका अंतरिम देयक प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त किया जाएगा और उपार्जन की समाप्ति पर एक **अंतिम बिल(संलग्न परिशिष्ट-06)** प्रस्तुत किया जाएगा । सहकारी समितियों द्वारा प्रासंगिक व्ययों के दावे प्रस्तुत करने के एक माह के अंदर

ऐसे दावों का परीक्षण कर कार्पोरेशन निर्धारित चेनल(केन्द्रीय सहकारी बैंक) के माध्यम से समितियों को भुगतान करेगा । ऐसा न करने पर सहकारी समितियों को उनकी लागत पूंजी पर ब्याज की मांग करने का अधिकार होगा । कार्पोरेशन द्वारा इस विषय में सहकारी समितियों द्वारा प्रस्तुत दावों का निराकरण युक्तियुक्त आधार तथा प्रत्येक प्रकरण के गुणदोष के आधार पर किया जाएगा ।

(ग) तौल, ग्रेडेशन, संग्रहण, परिवहन तथा अन्य व्यवस्था के संबंध में एजेण्ट समिति को कार्पोरेशन तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा जो भी निर्देश और सुझाव दिये जाएंगे उनका वह निष्ठापूर्वक अनुसरण करते हुये कार्य करेगी ।

(घ) एजेण्ट समिति कार्पोरेशन की ख्याति और उनके व्यवसायिक हितों को उसी सन्निष्ठा से ध्यान रखेगी जैसा कि उससे वह अपनी ख्याति तथा अपने हितों को ध्यान में रखने की अपेक्षा की जाती है । ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे कार्पोरेशन के व्यवसायिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

(ड़) इस इकारारनामें के प्रभावशील रहते हुये एजेण्ट समिति अन्य समिति के एजेण्ट या आढ़तियों के प्रतिनिधि के रूप में या अपने स्वयं के खाते में ज्वार/बाजरा/मक्का की खरीदी नहीं करेगी ।

(च) खरीदी कार्य में लगने वाली सारी सामग्री यथा तराजू,कांटा-बांट,स्टेंसिल,सुतली,सूजा,छन्ना,रंग एवं हम्मालों का प्रबंध एजेण्ट समिति स्वयं करेगी, खाली बारदानों का प्रदाय कार्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा । बारदाने एजेण्ट समिति को एडवांस के रूप में दिये जाएगें और बारदाना वापिस न करने पर शेष बारदाना हेतु रूपये दर निर्धारण अनुसार प्रति एस0बी0टी0 बारदाना की दर से समिति शेष बारदानों का मूल्य कार्पोरेशन को भुगतान करेगी अन्यथा कार्पोरेशन द्वारा अंतिम बिल के अन्तर्गत देय राशि के विरूद्ध कम प्राप्त बारदाने की राशि का समायोजन कर लिया जाएगा । **(बारदाना की दर निर्धारण कर अलग से सूचित की जावेगी।)**

(छ) उपार्जन कार्य हेतु एजेण्ट सेवा सहकारी समितियों को उनके द्वारा उपार्जित मात्रा पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मार्जिन्स की राशि का भुगतान किया जाएगा । समितियों द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर 03 दिन के अंदर रूपये निर्धारण अनुसार 5.00 रूपये(पाँच रूपये) प्रति क्विंटल की दर से तथा अंकेक्षित लेखे प्रस्तुत करने पर शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(ज) यदि एजेण्ट समिति के द्वारा इकरारनामे की किसी भी शर्त का उल्लधंन किया गया तो कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक,महाप्रबंधक,क्षेत्रीय प्रबंधक या जिला प्रबंधक को इस इकारारनामें को कभी भी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ऐसी कार्यवाही के फलस्वरूप कार्पोरेशन को जो भी क्षति हो उसकी पूर्ति के लिये एजेण्ट समिति उत्तरदायी होगी । **भारत शासन/राज्य शासन द्वारा मोटे अनाज उपार्जन संबंधी भविष्य में लिए जाने वाले नीतिगत निर्णयों/निर्देशों का पालन उभयपक्षों को बंधनकारी होगा ।**

(झ) यह इकरारनामा यदि उपरोक्त कंडिका(ज) के अनुसार निरस्त न कर दिया गया तो तब तक प्रभावशील रहेगा जब तक कार्पोरेशन एवं एजेट समिति के बीच कोई नया इकारारनामा अमल में न लाया जाए अथवा इसके किसी प्रावधान के आपरेशन से कार्पोरेशन के द्वारा एजेण्ट समिति को छूट न दी जाए ।

(3) यह इकरारनामा निम्नलिखित साक्षियों के समक्ष निष्पादित किया गया है:-

01. साक्षी................................

02. साक्षी................................

व्यवस्थापक/प्रभारी अधिकारी,
समिति की ओर से
दिनांक ....

संलग्नः-

1. एक समान विनिर्दिष्टियॉ
2. कृषक भुगतान सूची का नमूना
3. अंतरिम देयक का नमूना

जिला प्रबंधक/सहायक प्रबंधक
कार्पोरेशन की ओर से
दिनांक ....

परिशिष्ट-04

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
मुख्यालय-भोपाल

मोटा अनाज उपार्जन के जिलेवार उपार्जन अनुमान वर्ष 2008-09

क्रमांक	जिला	मक्का	ज्वार	बाजरा
1	सीहोर	250	0	
2	रायसेन	250	0	
3	बैतूल	500	0	
4	राजगढ़	1000	100	
5	खण्डवा	1500	0	
6	बुरहानपुर	2000	1000	
7	खरगौन	1000	500	
8	बड़वानी	1000	400	
9	इन्दौर	1000	200	
10	धार	1000	0	
11	झाबुआ	1000	0	
12	देवास	1000	0	
13	मन्दसौर	2000	0	
14	नीमच	1000	0	
15	रतलाम	2000	0	
16	उज्जैन	1000	300	
17	शाजापुर	2000	500	
18	सिवनी	1000	0	
19	छिन्दवाड़ा	3000	0	
20	डिण्डोरी	500	0	
21	मण्डला	500	0	
22	गुना	200	0	
23	अशोकनगर	200	0	
24	शिवपुरी	100	0	
25	भिण्ड	0	0	200
26	मुरैना	0	0	800
27	श्योपुरकलां	0	0	1000
	योगः-	**25000**	**3000**	**2000**

परिशिष्ट - 05

(समिति द्वारा सिविल सप्लाईज कारपोरशन को प्रस्तुत किये जाने वाले अंतरिम देयक का प्रारूप)

समिति का नाम व पता
समिति का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
कृषि उपज मंडी समिति का लायसेंस क्रमांक
अंतरिम बिल क्रमांक............................दिनांक ....
क्रय केन्द्र

अनाज का नाम - ज्वार/बाजराःमक्का औसत अच्छी किस्म
(प्रत्येक स्कंध के लिये अलग-अलग बिल बनायें जाएं)

क्रमांक	विवरण	मात्रा	दर प्रति क्विंटल	राशि
01.	भंडार गृह निगम की (दो प्रति में संलग्न) भंडारण रसीदों के अनुसार जमा स्कंध			
योगः-				

01. प्रमाणित किया जाता है कि जमा स्कंध की अंतरिम दर उक्त बिल में लगाई गई है, वह उपार्जित स्कंध के औसत अनुमानित उपार्जन मूल्य पर आधारित है एवं इसके आधार पर प्राप्त राशि का अंतिम समायोजन अंतिम बिल में किया जाएगा ।
02. मण्डी शुल्क/निराश्रित शुल्क के भुगतान की जिम्मेदारी कार्पोरेशन की है ।

व्यवस्थापक.
एजेण्ट सेवा सहकारी संस्था/समिति.

<u>परिशिष्ट-06</u>

समिति द्वारा मोटा अनाज उपार्जन से संबंधित अंतिम बिल

अंतिम बिल क्रमांक.................दिनांक................

1. समिति का नाम एवं पता
2. समिति का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
3. कृषि उप मंडी का लायसेंस क्रमांक
4. क्रय केन्द्र का नाम
5. क्रय स्कंध का नामः- ज्वार/बाजरा/मक्का औसत अच्छी किस्म(एफ0ए0क्यू0)
6. क्रय प्रारंभ करने की दिनांक .... अंतिम खरीदी की दिनांक..............

क्रमांक	विवरण	मात्रा (क्विंटल में)	शुद्ध राशि (रूपये में)
1.	दिनांक.................. से दिनांक.............. के बीच कुल खरीदी मात्रा एवं भुगतान की राशि संलग्न(दो प्रति) कृषक सूची के अनुसार		
2.	घटाईये, पूर्व प्रस्तुत अंतरिम देयकों से प्राप्त राशि.		

प्रस्तुति का विवरण				भुगतान का विवरण		
देयक	दिनांक	मात्रा	राशि	क्रमांक	दिनांक	राशि

1. शुद्ध राशि ....
2. अन्य विवरण ....
3. अन्य कटौत्रे(बारदाना कमी, पेनाल्टी आदि) ....

देयक की कुल राशि

*नोटः- मंडी शुल्क/निराश्रित टेक्स के भुगतान की जिम्मेदारी म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की है ।

व्यवस्थापक
एजेण्ट समिति.

परिशिष्ट-07

// म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, //
मुख्यालय- भोपाल.

मोटे अनाज उपार्जन की दैनिक जानकारी का पत्रक

मात्रा मे0टन में

स्थिति दिनांक.......

जिले का नाम	ज्वार		बाजरा		मक्का		भुगतान की स्थिति (ज्वार,बाजरा व मक्का की सम्मिलित)		
	दैनिक उपार्जन मात्रा	प्रगतिशील उपार्जन मात्रा	दैनिक उपार्जन मात्रा	प्रगतिशील उपार्जन मात्रा	दैनिक उपार्जन मात्रा	प्रगतिशील उपार्जन मात्रा	भुगतान योग्य राशि	भुगतान की गई राशि	शेष राशि

क्षेत्रीय प्रबंधक.
म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0,
....

विशेषः- उक्त प्रारूप में जिलों द्वारा जानकारी प्रतिदिन क्षेत्रीय प्रबंधक को प्रेषित् की जाएगी तथा क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा जिलेवार संकलित कर एकजाई जानकारी प्रतिदिन नियमित रूप से मुख्यालय भेजी जाएगी ।

परिशिष्ट-08

जिला प्रबंधक द्वारा सप्ताहान्त उपार्जित स्कंध की गुणवत्ता व मात्रा की पुष्टि के प्रमाण-पत्र का प्रारूप

अवधि दिनांक......... से दिनांक........ तक

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला.................. में खरीफ विपणन वर्ष 2008-09 में स्थापित................उपार्जन केन्द्रों पर निम्नानुसार मात्रा में सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से मोटे अनाजों का उपार्जन किया गया हैः-

(मात्रा क्विंटल में)

ज्वार ....

मक्का ....

बाजरा ....

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समितियों द्वारा उपार्जित एवं भंडारित किया गया उक्त स्कंध भारत शासन द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टयों के अनुरूप एफ0ए0क्यू0 है ।

हस्ताक्षर

जिला प्रबंधक

म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0

....

परिशिष्ट-09.

एजेण्ट सहकारी समिति द्वारा रखी जाने वाली कृषक उपार्जन तथा भुगतान की पंजी.

केन्द्रः .... स्कंधः ज्वार/मक्का/बाजरा
औसत अच्छी किस्म(एफ0ए0क्यू0)

क्रमांक	दिनांक	कृषक का नाम व पता	मात्रा	ग्रेड	दर	राशि	भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
दिनांक का योग							
प्रगतिशील खरीदी का योग							

हस्ताक्षर
व्यवस्थापक/सचिव, समिति

* नोटः- प्रत्येक स्कंध के लिए अलग-अलग पंजी रखी जाए और एक अतिरिक्त प्रति भी तैयार की जाकर उक्त प्रति को देयक के साथ प्रस्तुत की जाए।